उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

अधिसूचना

प्रकीर्ण

06 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 232/XXVIII(5)/2020–06(सामान्य)/2019–राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग की फिजियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी संवर्ग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग फिजियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी संवर्ग सेवा नियमावली, 2020

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग फिजियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी संवर्ग सेवा नियमावली, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग फिजियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी संवर्ग एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय;

(ग) 'बोर्ड' से 'उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड' अभिप्रेत है;

(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ङ) 'निदेशक' से 'निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड राज्य' अभिप्रेत है;

(च) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(छ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग फिजियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी संवर्ग सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ट) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट–क में दी गयी है : परन्तु यह कि

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

पद		भर्ती का स्रोत
फिजियोथेरेपिस्ट/आक्युपेशनल थेरेपिस्ट	–	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हता

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी: जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता 8. सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए :–

पद		भर्ती का स्रोत
फिजियोथेरेपिस्ट	–	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद

इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में रजिस्ट्रीकरण के योग्य किसी संस्थान से फिजियोथेरपी में डिग्री (BPT) की उपाधि हो।
3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र हो।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

आक्युपेशनल थेरेपिस्ट —

1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में रजिस्ट्रीकरण के योग्य किसी संस्थान से ऑक्युपेशनल थेरेपी में डिग्री (BOT) की उपाधि हो।
3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र हो।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

टिप्पणी:– इस नियमावली के प्रख्यापित होने से पूर्व उत्तराखण्ड के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों में यदि कोई कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हो तो उसके लिए वह शैक्षिक अर्हता मान्य होगी, जो उसकी नियुक्ति के समय निर्धारित थी या विज्ञापित की गयी थी। अन्य सभी सेवा लाभ नियमावली के अनुसार देय होंगे।

अनिवार्य / वांछनीय अर्हता 9. अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 एवं समय–समय पर यथासंशोधित नियमावलियों में निहित प्राविधान / शर्तों / उपबन्धों के अनुसार अर्हता धारण करता हो।

अधिमानी अर्हता 10. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 11. अभ्यर्थी को, जिस कलैण्डर वर्ष में रिक्तियाँ आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जायें, उस वर्ष की 01 जुलाई को समय-समय पर यथा विहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए :

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 13. सेवा में किसी पद पर ऐसा पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो, तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी , जिसका एक से अधिक जीवित पति हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :

परन्तु, राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता 14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व, उससे—
(क) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के
(ख) प्रस्तुत करना अपेक्षित है :
अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है :

परन्तु यह कि निःशक्तजनों हेतु भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणी में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवा योजन कार्यालय/चयन बोर्ड को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 16. सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2008 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित नियमावलियों के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी :— प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय-समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार किये जायेंगे।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति 17. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम-15 तथा 16 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो

तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के प्रावधान लागू होंगे।

परिवीक्षा 18. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को 01 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा, विफल रहा हो, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के सम्बन्ध में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकेगा।

स्थायीकरण 19. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर लिया जायेगा, यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित कर दी गयी हो; और
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता 20. (1) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता का निर्धारण "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये गये हो :

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट की जाती है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश की दिनांक मानी जायेगी तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने की दिनांक माना जायेगा ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति आयोग/चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये;

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

भाग—सात—वेतनमान

वेतनमान — 21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त कार्मिक को अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ में प्रचलित वेतनमान परिशिष्ट—क में दिए गए हैं।

परिवीक्षा के दौरान वेतन — 22. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन कर्मचारी को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रथम वेतन वृद्धि प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् और परिवीक्षा अवधि पूर्ण किए जाने तथा स्थाई किए जाने पर दी जायेगी;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग—आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन — 23. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहें लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन — 24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण — 25. जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम के अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति — 26. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–क

पदनाम, वेतनमान एवं पदों की संख्या

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	राजकीय मेडिकल कॉलेज				कुल योग
			श्रीनगर	हल्द्वानी	देहरादून	अल्मोड़ा	
1.	फिजियोथेरेपिस्ट	₹ 35,400–1,12,400 (लेवल–6)	2	2	2	2	8
2.	ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट	₹ 35,400–11,24,200 (लेवल–6)	2	2	2	2	8

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,

सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 09–05–2020, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 चिकित्सा/150–18–05–2020–150 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।